



## राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार

### प्रलिस के लयः

BEE, राषुडरीय ऊरुजा संरकुषण दवऱस, NECA, गुरीनहाउस गैस

### मेनुस के लयः

ऊरुजा दकुषता और ऊरुजा संरकुषण से संबंधतऱ पहलें

## चरुचा में कुयों?

हाल ही में ऊरुजा दकुषता और संरकुषण में भारत की उपलबुधयों को प्रदरुशतऱ करने के लयऱ [ऊरुजा दकुषता बुरो \(BEE\)](#) ने [राषुडरीय ऊरुजा संरकुषण दवऱस](#) (14 दसऱंबर) के अवसर पर वभिनुनऱ औदुयोगकऱ इकाइयों, संसुथानों और प्रतषुठानों को **31 वें राषुडरीय ऊरुजा संरकुषण पुरसुकार (NECA)** से सडुडडानतऱ कयऱ।

- एक नए पुरसुकार - **राषुडरीय ऊरुजा दकुषता नवाचार पुरसुकार (NEEIA)** को भी संसुथागत रूड दयऱ गयऱ है।

## ऊरुजा दकुषता बुरो (BEE)

- ऊरुजा दकुषता बुरो(BEE), वदुयुत डनुतुरालय के अंतुरगत [ऊरुजा संरकुषण अधनऱयडड, 2001](#) के प्रररवधानों के तहत सुथरपतऱ एक वैधानकऱ नकऱय है।
- यह भारतीय अरुथवुयवसुथा के ऊरुजा आधकऱय को कड करुने के प्रररथडकऱ उदुदेशुय के साथवकऱसशील नीतयऱों और रणनीतयऱों वकऱसतऱ करुने में सहायतऱ करतऱ है।
- BEE अपने कारुयों को करुने में डौजूदा संसाधनों एवं बुनयऱदी ढाँचे की पहचान तथा उपडुयोग करुने के लयऱ नामतऱ उपडुडुकुतऱओं, एऐंसयऱों व अनुय संगठनों के साथ सडनुवुय करतऱ है।

## प्रडुडुख बडुडु

- परचुडडः**
  - वदुयुत डनुतुरालय ने वरुष 1991 में एक डुडुजना शुरु की, जसऱका उदुदेशुय ऐंसे उदुडुडुगों और प्रतषुठानों को पुरसुकृत कर राषुडरीय डनुन्यतऱ प्रदऱन करुना थऱ, जनुनऱहोंने अपने उतुपऱदऱन को बनाए ररुखते हुए ऊरुजा की खपत को कड करुने के लयऱ वशऱष प्ररुयऱस कयऱ है।
    - राषुडरीय ऊरुजा संरकुषण पुरसुकार पहली बार **14 दसऱंबर, 1991** को दयऱ गयऱ थऱ, तभी से 14 दसऱंबर को 'राषुडरीय ऊरुजा संरकुषण दवऱस' के रूड में डुडुषतऱ कयऱ गयऱ है।
  - यह पुरसुकार उदुडुडुगों, प्रतषुठानों और संसुथानों में कुल 56 उप-कुषेतुरों के तहत ऊरुजा दकुषता उपलबुधयऱों को डनुन्यतऱ प्रदऱन करतऱ है।
- भरुत में ऊरुजा दकुषतऱः**
  - ऊरुजा दकुषतऱ का अरुथ है कऱसऱी कारुय को करुने के लयऱ कड ऊरुजा का उपडुडुयोग करुना अरुथऱतु ऊरुजा की बरुबादी को सडऱडुत करुना। ऊरुजा दकुषतऱ कऱई तरुह के लऱड प्रदऱन करतऱ है जैंसे- [गुरीनहाउस गैस \(GHG\)](#) उतुसरुजन को कड करुना, ऊरुजा आयऱत की डनुंग को कड करुना और डुरेलू तथा अरुथवुयवसुथा-वुयऱपी सुतर पर लऱगत को कड करुना।
  - भरुत का **ऊरुजा कुषेतुर सरुकर की हाल की वकऱसऱतुडक डहततुवऱकऱकुषऱओं** के साथ परवऱरुतऱन के लयऱ तैरुयऱ है, उदऱहरण के लयऱः
    - वरुष 2022 तक अकुषुड ऊरुजा की सुथरपतऱ कुषडडतऱ 175 गीगावऱट**, सडुडी के लयऱ 24X7 बजऱली, **वरुष 2022 तक सडुडी के लयऱ आवऱस**, 100 **सडुडऱरुट सऱटऱ डशऱन**, **ई-डुडुडुलऱतऱडऱ** को बढऱवऱ देनऱ, **रेलवे कुषेतुर का वदुयुतऱीकरण**, **डुरों का 100% वदुयुतऱीकरण**, **कुषुषऱ डऱडु सेटों का सौरऱकरण (Solarisation)** और **सुवकुषुड डुडुडुन डकऱने की सुथरतऱयऱों को बढऱवऱ देनऱ।**

- भारत महत्त्वकांक्षी ऊर्जा दक्षता नीतियों के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2040 तक बजिली उत्पादन हेतु 300 गीगावाट के नए निर्माण से बच सकता है।
- ऊर्जा दक्षता उपायों के सफल कार्यान्वयन ने वर्ष 2017-18 के दौरान देश की कुल बजिली खपत में 7.14% की बजिली बचत और 108.28 मिलियन टन CO<sub>2</sub> के उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान दिया।
- **ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण से संबंधित पहलें:**
  - **भारतीय पहलें:**
    - **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001:**
      - यह अधिनियम ऊर्जा संरक्षण हेतु कई कार्यों के लिये नियामकीय अधिदेश प्रदान करता है जैसे: उपकरणों के मानक निर्धारण और उनकी लेबलिंग; वाणज्यिक भवनों के लिये ऊर्जा संरक्षण भवन कोड; ऊर्जा गहन उद्योगों के लिये ऊर्जा की खपत के मानदंड।
    - **प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना:**
      - **प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (Perform, Achieve and Trade-PAT)** के तहत ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से ऊर्जा गहन उद्योगों की ऊर्जा दक्षता सुधार में लागत प्रभावीता बढ़ाने के लिये एक संबद्ध बाजार आधारित तंत्र के साथ व्यापार किया जा सकता है।
    - **मानक और लेबलिंग:**
      - यह योजना वर्ष 2006 में लॉन्च की गई थी और वर्तमान में रूम एयर कंडीशनर (फ्रिज/वेरिबल स्पीड), सीलिंग फैन, रंगीन टेलीविज़न, कंप्यूटर, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर आदि उपकरणों पर लागू होती है।
    - **ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ECBC):**
      - इसे वर्ष 2007 में नए वाणज्यिक भवनों के लिये विकसित किया गया था।
      - यह **100kW (किलोवाट) के कनेक्टेड लोड या 120 KVA (किलोवोल्ट-एम्पीयर)** और उससे अधिक की अनुबंध मांग वाले नए वाणज्यिक भवनों के लिये न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है।
    - **मांग पक्ष प्रबंधन (DSM):**
      - **DSM** आशय इलेक्ट्रिक मीटर की मांग या ग्राहक-पक्ष को प्रभावित करने वाले उपायों के चयन, नियोजन और उनके कार्यान्वयन से है।
  - **वैश्विक पहलें:**
    - **अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA):**
      - IEA एक सुरक्षित और स्थायी भविष्य के लिये ऊर्जा नीतियों को आकार एवं दिशा प्रदान करने हेतु विश्व भर के देशों के साथ काम करती है।
    - **सस्टेनेबल एनर्जी फॉर आल (SEforALL):**
      - यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो जलवायु पर पेरिस समझौते के अनुरूप **सतत विकास लक्ष्य-7** की उपलब्धि की दिशा में तेज़ी से कार्रवाई करने के लिये संयुक्त राष्ट्र और सरकार के नेताओं, नज्दी क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों और नागरिक समाज के साथ साझेदारी में काम करता है।
    - **पेरिस समझौता (Paris Agreement):**
      - यह जलवायु परिवर्तन पर **कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि** है। इसका लक्ष्य पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम, अधिमिनत: 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है।
    - **मिशन इनोवेशन (Mission Innovation-MI):**
      - यह स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेज़ी लाने के लिये 24 देशों और यूरोपीय आयोग (यूरोपीय संघ की ओर से) की एक वैश्विक पहल है।
  - **ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिये सुझाव:**
    - **ऊर्जा उपयोग व्यवहार में परिवर्तन:**
      - जीवन को आसान बनाने वाले उपकरणों के साथ आरामदायक वातानुकूलित स्थानों में रहने और काम करने की नागरिकों की उच्च महत्त्वकांक्षाओं से ऊर्जा खपत में कई गुना वृद्धि होगी।
      - भविष्य में ऊर्जा की मांग को रोकने के लिये ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा उपयोग व्यवहार के तरीकों को बदलने हेतु एक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
    - **शून्य ऊर्जा भवन कार्यक्रम पर अधिक ध्यानाकर्षण:**
      - भारत के लिये निर्माण क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में लगभग शून्य ऊर्जा भवन (NZEB) कार्यक्रम के विस्तार पर जोर देना महत्त्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक भवनों के लिये प्रती इकाई क्षेत्र में कम ऊर्जा उपयोग प्राप्त करने हेतु एक ढाँचा विकसित करना है।
    - **वैद्युत अधिनियम में संशोधन:**
      - इसके अलावा भारत के वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत अधिनियम के संशोधन के माध्यम से कई नीतितंत्र स्तर के बदलाव के साथ सुधार की उम्मीद है।
    - **स्मार्ट मीटर की स्थापना:**
      - कम बलिंग क्षमता के कारण राजस्व हानि, भारी संचरण और वितरण हानि, वैद्युत खपत की निगरानी आदि जैसे मुद्दों के समाधान के रूप में प्रमुख पहलों में से एक स्मार्ट मीटर की स्थापना है।
      - तेज़ गति से स्मार्ट मीटरों की स्थापना से भारत को बड़े पैमाने पर ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेपों को सुवर्धित बनाने में मदद मिल सकती है।
    - **ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेप:**
      - ऊर्जा दक्ष जीवनशैली अपनाने से भारत की ऊर्जा प्रणाली में बेहदरी के लिये परिवर्तन की दिशा में सकारात्मक प्रोत्साहन मिलागा। कम कार्बन संक्रमण प्राप्त करने हेतु ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेप सबसे अधिक लागत प्रभावी साधनों में से एक है।

